DEPTT, AJMER ... 10/07/2005

ऑन लाईन नं.GCMS2023/219

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 70/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुखदीप सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह —विक्रेता—
   मै0 एसएस मिल्क हाउस, वार्ड नम्बर 19, बसंती चौंक श्रीगंगानगर
2. सुखदर्शन सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह —(मालिक)—
   मैसर्स:— एसएस मिल्क हाउस, वार्ड नम्बर 19, बसंती चौंक श्रीगंगानगर

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांकः **19.01.2024**

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री कंवरपाल सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.03.2023 को समय दोपहर 03.30 बजे **मै. एसएस मिल्क हाउस, वार्ड नम्बर 19, बसंती चौंक श्रीगंगानगर** पहुंचे। मौके पर विक्रेता व मालिक **श्री सुखदीप सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह** को अपना परिचय देकर संस्थान में फ्रीज के अंदर रखे खाद्य पदार्थ **पनीर** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा संस्थान में फ्रीज के अन्दर स्टील की ट्रे में रखे फ्रीज के अंदर रखे तैयार 05 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **पनीर** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **पनीर** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते खाद्य पदार्थ **पनीर** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुखदीप सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विक्रेता एवं मालिक **श्री सुखदीप सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **पनीर** 1 किलोग्राम को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **पनीर** का नगद भुगतान 300/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के भी हस्ताक्षर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पनीर** को समरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 20 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1681** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1681** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुखदीप सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–L.S.285/Act/2023/285 Dated 22-03-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1681 Sub-Standard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री सुखदीप सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह** मैसर्स एसएस मिल्क हाउस, वार्ड नम्बर 19, बंसती चौंक, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर के **पनीर** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:–

1. यह कि प्रार्थी दुकान एसएस मिल्क हाउस के नाम से वार्ड संख्या 19, बंसती चौक श्रीगंगानगर का मालिक है।
2. यह प्रार्थी की दुकान पर दिनांक 10.03.2023 को समय 3.30 पीएम पर निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान संस्थान में स्टील ट्रे में रखें 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर, आमजन को विक्रय किया जा रहा था, जो बाद जांच अमानक पाये जाने का आरोप लगाकर प्रार्थी के विरूद्व उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को नोटिस दिया गया है, वास्तविकता यह है कि प्रार्थी द्वारा जो अपनी दुकान में पनीर बनाया गया था वह पनीर बाजार से दुध खरीद करने के बाद ही बनाया गया था तथा पनीर बनाते समय नमी कम ज्याद होने के कारण अमानक पाया गया जबकि दुध में फेट सही था जो पनीर गांय के दूध से बनाया गया था। प्रार्थी द्वारा पनीर पूर्णत्या सावधानी एवं सही मानक तरीके से बनाया गया था तथा इस पनीर में किसी भी तरह का कोई भी दोष या त्रुटि नहीं है, हालाकि प्रार्थी दुध खरीद करते समय भी उसकी जांच परख करते समय पैमाना भी अपनी दुकान में रखा हुआ है जब प्रार्थी द्वारा दुध लेते समय दुध की जांच की थी इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह से धारा 26 की उपधारा (11) का उल्लधंन नहीं किया है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि आप द्वारा की गई कार्यवारी दाखिल दफतर फरमायी जावें, प्रार्थी को राहत दिलायी जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **पनीर** का सैम्पल **K-1681** जांच रिपोर्ट क्रमांक :– L.S.285/Act/2023/285 Dated 22-03-2023 द्वारा **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:– प्रार्थी की दुकान पर दिनांक 10.03.2023 को समय 3.30 पीएम पर निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के दौरान संस्थान में स्टील ट्रे में रखें 5 किलोग्राम खाद्य पदार्थ पनीर, आमजन को विक्रय किया जा रहा था, जो बाद जांच अमानक पाये जाने का आरोप लगाकर प्रार्थी के विरूद्व उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को नोटिस दिया गया है, वास्तविकता यह है कि प्रार्थी द्वारा जो अपनी दुकान में पनीर बनाया गया था वह पनीर बाजार से दुध खरीद करने के बाद ही बनाया गया था तथा पनीर बनाते समय नमी कम ज्याद होने के कारण अमानक पाया गया जबकि दुध में फेट सही था जो पनीर गांय के दूध से बनाया गया था। प्रार्थी द्वारा पनीर पूर्णत्या सावधानी एवं सही मानक तरीके से बनाया गया था तथा इस पनीर में किसी भी तरह का कोई भी दोष या त्रुटि नहीं है, हांलाकि प्रार्थी दुध खरीद करते समय भी उसकी जांच परख करते समय पैमाना भी अपनी दुकान में रखा हुआ है जब प्रार्थी द्वारा दुध लेते समय दुध की जांच की थी इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह से धारा 26 की उपधारा (11) का उल्लधंन नहीं किया है। अतः कार्यवाही समाप्त की जावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.GCMS2023/219

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Paneer" bearing Code No and Sr. No. K-1681, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and standards(Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियक्त **श्री सुखदीप सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह** को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त **श्री सुखदीप सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह** को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 20,000-00 (अखरे रूपये बीस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **श्री सुखदीप सिंह पुत्र श्री जगमीत सिंह** खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।